

# न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/119/2021,

रजि0 न0 2021/246

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-


रुडाराम पुत्र हिम्तराम, निवासी तलवाड़ लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन  
पोस्ट जागुवास, तहसील बहरोड़, जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान), अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 24.08.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक सम/1443 दिनांक 04.08.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, की संबंधित अनुभाग (अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कमा प्रकोष्ठ, अलवर के पत्रांक सतर्कता/सूकाअ-39/2021/4268 दिनांक 29.07.2021) के माध्यम से प्राप्त सूचना मूल ही अधिप्रमाणित कर निःशुल्क प्रेषित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
6. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(नन्मूल पहाड़िया)  
जिला कलेक्टर, अलवर